



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240624  
CG-DL-E-28112022-240624

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]  
No. 296]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

संचार मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

फा. सं. 6-2/2022-एसटीजी.II.—भारत का राजपत्र, असाधारण दिनांक 14.09.2022 के भाग I, खण्ड-I में प्रकाशित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2023 की नियमावली में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

1. सहभागी सेवाओं की सूची में वर्ग-I- सिविल इंजीनियरी, ग्रुप 'क' सेवाओं /पदों के अंतर्गत क्रम संख्या 8. पर निम्नलिखित सेवा को जोड़ा गया है:-  
“8. भारतीय कौशल विकास सेवा”
2. सहभागी सेवाओं की सूची में वर्ग- II- यांत्रिक इंजीनियरी, ग्रुप 'क/ख' सेवाओं /पदों के अंतर्गत क्रम संख्या 12. पर निम्नलिखित सेवा को जोड़ा गया है:-  
“12. भारतीय कौशल विकास सेवा”
3. सहभागी सेवाओं की सूची में वर्ग- III- विद्युत इंजीनियरी, ग्रुप 'क/ख' सेवाओं /पदों के अंतर्गत क्रम संख्या 9. पर निम्नलिखित सेवा को जोड़ा गया है:-

“9. भारतीय कौशल विकास सेवा”

4. सहभागी सेवाओं की सूची में वर्ग- IV- इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी, ग्रुप 'क/ख' सेवाओं /पदों के अंतर्गत क्रम संख्या 9. पर निम्नलिखित सेवा को जोड़ा गया है:-

“9. भारतीय कौशल विकास सेवा”

5. नियमावली के पृष्ठ संख्या 38 पर पैरा -14 में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

(ix) आईएसडीएस

6. निम्नलिखित को नियमावली के पृष्ठ संख्या 39 पर “वे तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए निम्नतर ग्रेड वर्णाभास (एलजीसीपी) [या दोषपूर्ण उच्चतर ग्रेड वर्णाभास - डीएचजीसीपी] अनिवार्य है:-” के नीचे क्रम संख्या (x) पर जोड़ा जाए।

“(x) भारतीय कौशल विकास सेवा”

7. नियमावली के परिशिष्ट -III में क्रम संख्या (14) पर निम्नलिखित सेवा को जोड़ा जाएगा।

#### 14. भारतीय कौशल विकास सेवा

##### क) परिवीक्षा

- 1) सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, भले ही सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति की गई हो, कनिष्ठ समयमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगा।

बशर्ते कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर लिया जा सकता है और ऐसे किए जाने से संबंधित कारणों के विषय में संबंधित अधिकारी को इस अवधि के भीतर ही लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

- 2) इस अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के पूरा होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे उसके पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए और यथासमय उपलब्ध मूल रिक्त पद पर उसका पुष्टिकरण किया जाना चाहिए।
- 3) यदि, परिवीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार का यह मत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है, तो बिना कोई कारण सूचित किए केन्द्र सरकार द्वारा :-

(क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होता है, तो उसे उस पद से सेवामुक्त किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे तत्काल ऐसी पदोन्नति से पूर्व धारित पद पर वापिस भेज दिया जाए।

- 4) परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान, अधिकारी को ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण और अनुदेशों का अध्ययन अथवा ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों को पास करना पड़ सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने की अनिवार्य शर्त माना गया हो।
- 5) उप-नियम (1) से (4) तक के अधीन, सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा अवधि से संबंधित अन्य मामलों को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

**ख) वरिष्ठता**

कनिष्ठ समयमान में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 1986 के का.ज्ञा. सं. 22011/7/86-स्था. में सम्मिलित प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

**ग) वेतनमान**

- i) कनिष्ठ समयमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु. 56,100-1,77,500)
- ii) वरिष्ठ समयमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु. 67,100-2,08,700)
- iii) वरिष्ठ समयमान (एनएफएसजी) वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु. 78,800-2,09,200)
- iv) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु. 1,23,100-2,15,900)
- v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)

(घ) **प्रशिक्षण लागत की वापसी :-** यदि किसी भी कारण से, जो सरकार के मतानुसार किसी परिवीक्षार्थी के नियंत्रण से परे नहीं है और वह प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा से हटना चाहता है, तो उसे प्रशिक्षण की सारी लागत तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान दी गई किसी भी अन्य राशि को वापस लौटाना होगा। इस उद्देश्य से परिवीक्षार्थियों को एक बॉन्ड भरना होगा जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी। जिन परिवीक्षार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति है, उनके लिए हालांकि प्रशिक्षण लागत वापस करना अपेक्षित नहीं है।

(ड.) **छुट्टी - समय-समय पर प्रभावी छुट्टी नियमों के अनुरूप अधिकारी छुट्टी के पात्र होंगे।**

(च) **चिकित्सा परिचर्या - समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुरूप ही अधिकारियों को चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार मुहैया कराया जाएगा।**

(छ) **भविष्य निधि एवं पेंशन :-** सेवा में भर्ती उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे।

(ज) **भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें :-** सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर भारत या बाहर कहीं भी सेवा देने का दायित्व होगा।

(झ) **निरर्हता :-** कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :

(क) जो ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधता है जिसका पति या पत्नी जीवित है। अथवा

(ख) जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधता है :

बशर्ते यदि कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे किसी व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

8. नियमावली के पृष्ठ संख्या 55 पर अनुबंध - 1 “बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति श्रेणी के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/ पदों की सूची, शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित” के नीचे श्रेणी I- सिविल इंजीनियरी के अंतर्गत क्रम संख्या (8) पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
8.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार

9. नियमावली के पृष्ठ संख्या 56 पर अनुबंध - 1 “बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति श्रेणी के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/ पदों की सूची, शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित” के नीचे श्रेणी II- यांत्रिक इंजीनियरी के अंतर्गत क्रम संख्या (10) पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
10.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार

10. नियमावली के पृष्ठ संख्या 56 पर अनुबंध – 1 “बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति श्रेणी के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/ पदों की सूची, शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित” के नीचे श्रेणी III- विद्युत इंजीनियरी के अंतर्गत क्रम संख्या (7) पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
7.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार

11. नियमावली के पृष्ठ संख्या 57 पर अनुबंध – 1 “बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति श्रेणी के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/ पदों की सूची, शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यात्मक विवरण सहित” के नीचे श्रेणी IV- इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी के अंतर्गत क्रम संख्या (7) पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा

क्रम संख्या	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
7.	भारतीय कौशल विकास सेवा	ओए या ओएल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार

सुनील पुरोहित, उप महानिदेशक (कार्मिक)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2022

**F. No. 6-2/2022-STG.II.**— In the Rules for the Engineering Services Examination, 2023 published in Part I, Section-I of the Gazette of India, Extraordinary dated 14.09.2022, the following shall be added:-

- The following is inserted at Sl No. (viii) under CATEGORY-I - CIVIL ENGINEERING, Group ‘A’ Services / Posts in the list of Participating Services:-  
“(viii) Indian Skill Development Service”
- The following is inserted at Sl No. (xii) under CATEGORY-II - MECHANICAL ENGINEERING, Group ‘A/B’ Services / Posts in the list of Participating Services:-  
“(xii) Indian Skill Development Service”
- The following is inserted at Sl No. (ix) under CATEGORY-III - ELECTRICAL ENGINEERING, Group ‘A/B’ Services / Posts in the list of Participating Services:-  
“(ix) Indian Skill Development Service”
- The following is inserted at Sl No. (ix) under CATEGORY-IV - ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING, Group ‘A/B’ Services / Posts in the list of Participating Services:-  
“(ix) Indian Skill Development Service”
- At Pg No. 94 of the Rules, the following shall be inserted at Para-14  
(ix) ISDS
- At Page No. 95 of the Rules, the following shall be inserted under “**Technical Services or posts requiring lower grade colour perception (LGCP) [Or Defective Higher Grade Colour Perception –DHGCP] :—**” at Sl No. (x)  
“(x) Indian Skill Development Service”
- In the Appendix- III of the Rules, the following shall be inserted at Sl No.(14)

**14. INDIAN SKILL DEVELOPMENT SERVICE****A) Probation**

1) Every officer appointed to the service either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

2) On completion of the period or any extension thereof, the officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Central Government without any reason being assigned may:-

(a) If he was appointed by direct recruitment, discharge him from service in that post.

(b) If he was appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such promotion.

4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses, training and instructions and pass such examinations and test as the Central Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.

5) Subject to sub-rules (1) to (4), the other matter relating to the probation of the members of the services shall be governed by the instructions issued by the Central Government from time to time.

**B) Seniority**

The inter-se seniority of the officers in the junior time scale shall be determined in accordance with the provisions contained in the Department of Personal & Training OM No. 22011/7/86-Estt. dated 3<sup>rd</sup> July, 1986 as amended from time to time.

**C) Scale of Pay**

- i) Junior Time Scale Pay Matrix Level- 10 (Rs.56,100-1,77,500).
- ii) Senior Time Scale Pay Matrix Level -11 (Rs. 67,700-2,08,700).
- iii) Senior Time Scale(NFSG) Pay Matrix Level -12 (Rs. 78,800-2,09,200).
- iv) Junior Administrative Grade Pay Matrix Level -13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)
- v) Senior Administrative Grade Pay Matrix Level -14 (Rs. 1,44,200-2,18,200).

**D)Refund of the cost of Training:-** If for any reasons which in the opinion of the Government are not beyond the control of the probationer, the probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other money paid to him during the period of his probation. For this purpose probationers will be required to furnish a Bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment for Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of the training.

**E) Leave :-** Officers will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

**F) Medical Attendance:-** Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

**G) Provident Fund and Pensions:-** Candidates recruited in the service will be governed by the New Pension Schemes of Central Government.

**H) Liability for service in any part of India and other conditions of service:-** The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

**I) Disqualification :-** No Person –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible

for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. In the Annexure-1 at Pg. no. 109-110 of the Rules, following shall be inserted under the List of Services/Posts identified suitable for Persons with Benchmark Disability Category along with the physical requirements and functional classifications\* at Sl.No.(8) under Category I- Civil Engineering.

Sl. No.	Name of Services	Functional Classification	Physical Requirements
8.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions

9. In the Annexure-1 at Pg. no. 109-110 of the Rules, following shall be inserted under the List of Services/Posts identified suitable for Persons with Benchmark Disability Category along with the physical requirements and functional classifications\* at Sl.No.(10) under Category II- Mechanical Engineering:

Sl. No.	Name of Services	Functional Classification	Physical Requirements
10.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions

10. In the Annexure-1 at Pg. no. 109-110 of the Rules, following shall be inserted under the List of Services/Posts identified suitable for Persons with Benchmark Disability Category along with the physical requirements and functional classifications\* at Sl.No.(7) under Category III- Electrical Engineering:

Sl. No.	Name of Services	Functional Classification	Physical Requirements
7.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions

11. In the Annexure-1 at Pg. no. 109-110 of the Rules, following shall be inserted under the List of Services/Posts identified suitable for Persons with Benchmark Disability Category along with the physical requirements and functional classifications\* at Sl.No.(7) under Category IV-Electronics & Telecommunication Engineering:

Sl. No.	Name of Services	Functional Classification	Physical Requirements
7.	Indian Skill Development Service	OA or OL	As per MOSJ & E instructions

SUNIL PUROHIT, DDG (Pers).